



स्वतंत्र भारत के महत्त्वपूर्ण नरिणयः भाग II

वर्ष 1950 में भारत का संवधान लागू होने के पश्चात् यह भारत के लोकतंत्र की आधारशिला रहा है। इसके अधनियमन के बाद [इसमें कई संशोधन](#) हुए हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय संवधान का अंतिम व्याख्याकार है और अपनी रचनात्मक एवं नवीन व्याख्या से हमारे संवधानिक अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता का रक्षक रहा है।
- इन नरिणयों को न केवल मसाल के रूप में सराहा जाना चाहिये, बल्कि सर्वोपरि महत्त्व के मुद्दों पर कानून नरिधारति करने के रूप में भी देखा जाना चाहिये, यानी एक ऐसा कानून जो देश में सभी अदालतों और अधिकारियों के लिये बाध्यकारी है।

ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1950)

- **मुख्य वषियः** ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1950) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने [भारतीय संवधान](#) के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों की व्याख्या की।
- इस मामले में यह माना गया कि [अनुच्छेद 21](#) के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी वधायी कार्रवाई से।
- इसका मतलब है कि राज्य कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकता है।
- यह अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अभिव्यक्ति के कारण है, जो अमेरिकी संवधान में नहिंति 'कानून की उचित प्रक्रिया' की अभिव्यक्ति से अलग है।
- इसलिये किसी कानून की वैधता, जसिने एक प्रक्रिया नरिधारति की है, पर इस आधार पर सवाल नहिं उठाया जा सकता है कि कानून अतर्किक, अनुचित या अन्यायपूर्ण है।
- दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अर्थ केवल व्यक्तिगत व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता है।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (वर्ष 1951)

- **मुख्य वषियः** इस मामले में पहले संशोधन अधनियम (वर्ष 1951) की संवधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि [अनुच्छेद 368](#) के तहत संवधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
- अनुच्छेद 13 में 'कानून' शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल हैं, न कि संवधानिक संशोधन अधनियम (संवधान कानून)।
- इसलिये संसद संवधानिक संशोधन अधनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या छीन सकती है और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहिं होगा।

बेरुबारी यूनयिन केस (वर्ष 1960)

- **मुख्य वषियः** मामले में इस मुद्दे को सुलझाया गया था कि प्रस्तावना संवधान का हिस्सा है या नहिं।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, बेरुबारी संघ मामले (वर्ष 1960) में प्रस्तावना संवधान में कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार संवधान नरिमाताओं के दमिग की कुंजी है।
- इसके अलावा जहाँ किसी लेख में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में व्याख्या में कुछ सहायता प्रस्तावना में नहिंति उद्देश्यों से ली जा सकती है।
- प्रस्तावना के महत्त्व की इस मान्यता के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह राय दी कि प्रस्तावना संवधान का हिस्सा नहिं है।
- इसलिये यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहिं है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1967)

- **मुख्य वषियः** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहिं कर सकती है।
- कोर्ट ने कहा कि नरिदेशक सदिधांतों के कार्यान्वयन के लिये मौलिक अधिकारों में संशोधन नहिं किया जा सकता है।
- गोलकनाथ मामले (वर्ष 1967) में 24वें संशोधन अधनियम (वर्ष 1971) और 25वें संशोधन अधनियम (वर्ष 1971) को लागू करके संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

- 24वें संशोधन अधिनियम ने घोषणा की कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है।
- 25वें संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 31C सम्मिलित किया गया जिसमें नमिन्लखित दो प्रावधान शामिल थे:
 - अनुच्छेद 39 (B) और (C) में नरिदेशक समाजवादी नरिदेशक सदिधांतों को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा।
 - ऐसी नीति को प्रभावी करने की घोषणा वाले किसी कानून पर किसी भी अदालत में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता है।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला (वर्ष 1975)

- **मुख्य वषिय:** संवधान की मूल संरचना के सदिधांत की फरि से पुष्ट की गई और इस मामले (वर्ष 1975) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम (वर्ष 1975) के एक प्रावधान को अमान्य कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा।
- अदालत के अनुसार, यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि इसने संवधान के मूल ढाँचे को प्रभावित किया था।
- संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम (वर्ष 1976) को अधिनियमित करके 'बुनियादी संरचना' के न्यायिक रूप से नवोन्मेषी सदिधांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि संसद की वधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

मनिर्वा मलिस बनाम भारत संघ (वर्ष 1980)

- **मुख्य वषिय:** सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संवधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संवधान के "मूल ढाँचे" को नहीं बदल सकती है।
- मनिर्वा मलिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संवधान मौलिक अधिकारों और नरिदेशक सदिधांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है।
- वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के मूल का गठन करते हैं।
- नरिदेशक तत्त्वों द्वारा नरिधारित लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त साधनों को समाप्त करके बनाया गया है।
- इसलिये वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को नरिदेशक सदिधांतों पर सर्वोच्चता प्राप्त है।
- फरि भी इसका मतलब यह नहीं है कि नरिदेशक सदिधांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।
- संसद नरिदेशक सदिधांतों को लागू करने के लिये मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि वह संशोधन संवधान के मूल ढाँचे को नुकसान नहीं पहुँचाता है।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (वर्ष 1986)

- **मुख्य वषिय:** इस नरिणय को हमारे देश में पर्यावरण कानून के क्षेत्र में प्रमुख नरिणयों में से एक माना जाता है। नरिणय ने विभिन्न नई स्थितियों, कानूनों और मौलिक अधिकारों की व्याख्या की।
- सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 1987 मामले में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये सख्त दायित्व सदिधांत को अपर्याप्त पाया और इसे पूर्ण दायित्व सदिधांत के साथ बदल दिया।
- यह फैसला वर्ष 1986 में दिल्ली के ओलियम गैस रिसाव मामले में आया था।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 51-A (G) के तहत मौलिक कर्तव्य के एक भाग के रूप में देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार कार्यक्रम की अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (वर्ष 1994)

- **मुख्य वषिय:** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिधारित किया कि संवधान संघीय है और संघवाद इसके 'मूल ढाँचे' में शामिल है।
- इस मामले में गौर किया गया कि हमारे संवधान की योजना के तहत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं।
- राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है। वे केंद्र के मातहत या एजेंट नहीं हैं। उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर राज्य सर्वोच्च है।
- तथ्य यह है कि आपात स्थिति के दौरान और कुछ अन्य घटनाओं में केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को ओवरराइड या कम किया जाता है, यह संवधान की आवश्यक संघीय विशेषता के लिये विनाशकारी नहीं है।
- इस तरह के मामले अपवाद हैं और अपवाद कोई नियम नहीं होता है। बता दें कि भारतीय संवधान में संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि सदिधांतों में से एक है। यह ज़मीनी हकीकत को देखते हुए अपनाई गई प्रक्रिया का परिणाम है।

शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य (वर्ष 2017)

- **मुख्य वषिय:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तत्काल तीन तलाक या तलाक-ए-बदित असंवैधानिक और अवैध है।

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिये सरकार [मुस्लिम महिला \(विवाह पर अधिकारों का संरक्षण\) अधिनियम, 2017](#) लेकर आई।
- अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में लंबित है।
- अध्यादेश सरकार द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2017 के संशोधित संस्करण को प्रभावी बनाता है।

और पढ़ें: [स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण नरिणय: भाग 1](#)

मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न

प्रश्न. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही नहि है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक नरिणयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।

प्रश्न. तलाक एक दीवानी मामला है और तीन तलाक को एक आपराधिक मामला बनाना आपराधिक न्यायशास्त्र के विपरीत है। टिप्पणी कीजिये।

प्रश्न. "संविधान की आधारभूत संरचना" का सिद्धांत क्या है? संविधानवाद की भावना को मजबूत करने में इसके विकास और महत्त्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा मामला संसद की संविधान के संशोधन की शक्ति से संबंधित नहीं है?

1. शंकरा प्रसाद मामला
2. सज्जन सहि मामला
3. एस.आर. बोमई मामला
4. गोलकनाथ मामला

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिये।

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 3
- (C) केवल 2
- (D) केवल 3 और 4

प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रहा शायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है?

- (A) मुस्लिम महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार
- (B) बहुविवाह पर प्रतिबंध
- (C) महिला जननांग विकृति पर प्रतिबंध
- (D) तत्काल ट्रिपल 'तलाक' (तलाक) को अवैध बनाने से

प्रश्न. भारत की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इसे बेरुबारी संघ मामले में संविधान के एक भाग के रूप में रखा गया था।
2. यह संविधान के मूल ढाँचे का एक हिस्सा है।
3. यह शक्तिका स्रोत नहीं है और न ही सीमाओं का स्रोत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2
- (C) केवल 3
- (D) 1, 2 और 3